न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 54 / 2022

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
विकास पुत्र भवानी शंकर जाति खत्री
निवासी महावीर नगर, जिला बाड़मेर
(मैसर्स दल्लूजी स्वीट्स एण्ड स्नेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, जिला बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.07.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक **17.06.2012** को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स दल्लूजी स्वीट्स एण्ड स्नेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, जिला बाड़मेर** के मिठाई निर्माण के गोदाम में निरीक्षण के दौरान पर एक भगोले में कुल 35–40 किग्रा **दूध (गाय का)** भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **2 किलो दूध (गाय का)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1679** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व [illegible] हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (गाय का)** [illegible] निदेशक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया [illegible] विश्लेषक, [illegible] सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (गाय का)** [illegible] नमूना **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:04 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब में निवेदन किया कि जॉच नमूने में लिया गया दूध से छेना (मिठाई) व अन्य खाद्य पदार्थों में रॉ मेटेरियल के रूप में उपयोग लिया जा रहा था। इसलिए उक्त दूध को सुविधानुसार पानी मिलाकर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त दूध अप्रार्थी स्वयं द्वारा किसी अन्य प्रतिष्ठान से क्रय किया गया है एवं दूध सीधे बिक्री के लिए उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। ऐसी सिथिति में यह अप्रार्थी का प्रथम अपराध है, जिस पर अप्रार्थी को माफी दी जाना न्यायौचित होगा। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण को निरस्त फरमाया जावे।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **27.06.2022** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार **Milk Fat** मानक स्तर न्यूनतम **3.2%** के मुकाबले में **3.00%** पाया गया है जो कि मानक स्तर से कम है और **Milk solids not fat** न्यूनतम **8.30%** के मुकाबले **7.8%** है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। इस पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में दूध से छेना (मिठाई) व अन्य खाद्य पदार्थों में रॉ मेटेरियल के रूप में उपयोग लिया जा रहा था। इसलिए उक्त दूध को सुविधानुसार पानी मिलाकर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त दूध अप्रार्थी स्वयं द्वारा किसी अन्य प्रतिष्ठान से क्रय किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:04 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

गया है एवं दूध सीधे बिक्री के लिए उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। इस कारण नरमाई का रूख अपनाते हुये उक्त प्रकरण को खारिज किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान से विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है किन्तु अप्रार्थी ने अपने जवाब में इस दायित्व से विमुख होने का प्रयास किया हैं। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 5,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक **18.07.2023** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:04 IST
Reason: SelfAttested